बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–01 / बजट–यो0–703 / 2026– 1756 पटना, दिनांक– 29 अक्टूबर, 2026

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा.प्र.से.,
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना,
सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज / बेतिया / मोतीहारी / सीतामढ़ी / सिवान / समस्तीपुर / भागलपुर / पूर्णियाँ / गयाजी / दरभंगा / भोजपुर / मुजफ्फरपुर / जमुई / सहरसा / पटना एवं बगहा।

सहायक ईखायुक्त, उ०बि०, मुजफ्फरपुर / **विशेष ईख पदाधिकारी,** पटना।

ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया / बेतिया अंचल बेतिया / मोतिहारी / गोपालगंज / सिवान / समस्तीपुर / मुजफ्फरपुर एवं लहेरियासराय, दरभंगा।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2026–2027 में राज्य योजना अंतर्गत विभागीय योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु किराये पर वाहन संचालन हेतु कुल 158.00 लाख (एक करोड़ अनठावन लाख) रूपये के विरूद्ध 65 प्रतिशत राशि कुल 102.70 लाख (एक करोड़ दो लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–573 स्वी० / सी.सी. दिनांक–26.10.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–2027 में राज्य योजना अंतर्गत विभागीय योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु किराये पर वाहन संचालन हेतु कुल 158.00 लाख (एक करोड़ अनठावन लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि कुल 158.00 लाख रू० मात्र के विरूद्ध वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–314 / वि॰ दिनांक–01.04.2026 के आलोक में 65 प्रतिशत राशि कुल 102.70 लाख (एक करोड़ दो लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र का आवंटन किया जा रहा है तथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संलग्न **परिशिष्ट–1 'क' एवं 'ख'** के अनुसार 65 प्रतिशत आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से कर सकेंगे।

2. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 65 प्रतिशत आवंटित कुल 102.70 लाख (एक करोड़ दो लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र वर्ष 2026–27 में राज्य योजनान्तर्गत बजट प्रावधान के तहत निम्न शीर्षो से श्रेणीवार विकलनीय होगा–

क्रम संख्या	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रू०)	65 प्रतिशत आवंटित राशि (लाख रू०)
1.	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00– लघु शीर्ष–108 वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या–45 उप शीर्ष–0109 ईख विकास विपत्र कोड– 45–2401001080109	13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	99.24	64.50600
2.	मुख्य शीर्ष 2852–उद्योग–उप मुख्य शीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग, लघु शीर्ष–201–चीनी मांग संख्या–45 उपशीर्ष–0103 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–45– 2852082010103	13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	58.76	38.19400
	कुल योग (1 + 2) –		**158.00**	**102.70000**

Vehicle Allotment (Development & Reg.)

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–314 / वि॰ दिनांक–01.04.2026 के आलोक में आवंटित की जा रही है।

4. उक्त योजनांतर्गत व्यय की गई राशि से संबंधित व्यय प्रतिवेदन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा गन्ना उद्योग विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

5. विषय शीर्षो में आवंटित राशि की अग्रिम निकासी नहीं की जाएगी।

6. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों / निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जवाबदेही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। ईखायुक्त, बिहार इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होगें।

अनुलग्नक– यथोक्त

विश्वासभाजन

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01 / बजट–यो0–703 / 2026– 17902 /पटना, दिनांक– 29 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को विवरणी सहित / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / कोषागार पदाधिकारी, गोपालगंज / बेतिया / मोतीहारी / सीतामढ़ी / सिवान / समस्तीपुर / भागलपुर / पूर्णियाँ / गयाजी / दरभंगा / भोजपुर / मुजफ्फरपुर / जमुई / सहरसा / पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01 / बजट–यो0–703 / 2026– 17903 /पटना, दिनांक– 29 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा) / उप निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / विशेष कार्य पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग / उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग / संयुक्त निदेशक, ईख विकास, बिहार, पटना / संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना / सभी उप निदेशक, ईख विकास / लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01 / बजट–यो0–703 / 2026–17904 /पटना, दिनांक– 29 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार के आप्त सचिव / सचिव, गन्ना उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव / ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–1 'क'

वित्तीय वर्ष 2026–2027 में राज्य योजना अंतर्गत विभागीय योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु किराये पर वाहन संचालन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने विपत्र कोड–45–2401001080109 अंतर्गत श्रेणीवार 65 प्रतिशत आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	आवंटित राशि (65 प्रतिशत) (रूपये में)		कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
		विषय शीर्ष–13 10 – भाड़े का वाहन सामान्य श्रेणी 45–2401001080109		
		स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	
1	2	3	4	5
1	सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा	525000.00	341250.00	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
2	सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया	500000.00	325000.00	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
3	सहायक निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी	555000.00	360750.00	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
4	सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज	554600.00	360490.00	कोषागार , गोपालगंज
5	सहायक निदेशक, ईख विकास, सिवान	600000.00	390000.00	कोषागार, सिवान
6	सहायक निदेशक, ईख विकास,सीतामढ़ी	610000.00	396500.00	कोषागार, सीतामढ़ी
7	सहायक निदेशक, ईख विकास, समस्तीपुर	756000.00	491400.00	कोषागार, समस्तीपुर
8	सहायक निदेशक, ईख विकास, मुजफ्फरपुर	422000.00	274300.00	कोषागार, मुजफ्फरपुर
9	सहायक निदेशक, ईख विकास, दरभंगा	660000.00	429000.00	कोषागार, दरभंगा
10	सहायक निदेशक, ईख विकास, पुर्णियाँ	531600.00	345540.00	कोषागार, पूर्णियाँ
11	सहायक निदेशक, ईख विकास, भागलपुर	533800.00	346970.00	कोषागार, भागलपुर
12	सहायक निदेशक, ईख विकास, सहरसा	564000.00	366600.00	कोषागार, सहरसा
13	सहायक निदेशक, ईख विकास, जमुई	415500.00	270075.00	कोषागार, जमुई
14	सहायक निदेशक, ईख विकास, गयाजी	485800.00	315770.00	कोषागार, गयाजी
15	सहायक निदेशक, ईख विकास, आरा	285000.00	185250.00	कोषागार, आरा (भोजपुर)
16	सहायक निदेशक, ईख विकास, पटना	636000.00	413400.00	कोषागार, पटना
17	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	1289700.00	838305.00	विकास भवन, पटना
	कुल योग	**9924000.00**	**6450600.00**	

(चौंसठ लाख पचास हजार छः सौ रूपये) मात्र।

ईखायुक्त, बिहार।

परिशिष्ट–1 'ख'

वित्तीय वर्ष 2026–2027 में राज्य योजना अंतर्गत विभागीय योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु किराये पर वाहन संचालन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार उनके सामने विपत्र कोड–45–2852082010103 अंतर्गत श्रेणीवार 65 प्रतिशत आवंटित संबंधित कोषागार का नाम जिससे राशि की निकासी की जायेगी का विवरणी।

क्रमांक	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	आवंटित राशि (65 प्रतिशत) (रूपये में)		कोषागार का नाम जहाँ से राशि की निकासी की जायेगी
		विषय शीर्ष–13 10 – भाड़े का वाहन सामान्य श्रेणी 45–2852082010103		
		स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	
1	2	3	4	5
1	सहायक ईखायुक्त, उ0बि0, मुजफ्फरपुर	558000.00	362700.00	कोषागार, मुजफ्फरपुर
2	विशेष ईख पदाधिकारी, पटना	610000.00	396500.00	कोषागार, पटना
3	ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया	550000.00	357500.00	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
4	ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया	550000.00	357500.00	कोषागार, बेतिया, प0 चम्पारण
5	ईख पदाधिकारी, मोतिहारी	532000.00	345800.00	कोषागार, मोतिहारी पूर्वी चम्पारण
6	ईख पदाधिकारी, गोपालगंज	561000.00	364650.00	कोषागार , गोपालगंज
7	ईख पदाधिकारी, सिवान	177500.00	115375.00	कोषागार , सिवान
8	ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर	523400.00	340210.00	कोषागार, समस्तीपुर
9	ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	544000.00	353600.00	कोषागार, मुजफ्फरपुर
10	ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय, दरभंगा	535000.00	347750.00	कोषागार, दरभंगा
11	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग	735100.00	477815.00	विकास भवन, पटना
	कुल योग	**5876000.00**	**3819400.00**	

(अड़तीस लाख उन्नीस हजार चार सौ रूपये) मात्र।

ईखायुक्त, बिहार।